

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत  
पत्रांक-2401/15-1, पीलीभीत, दिनांक 18/01/2022

सेवा में,

वन संरक्षक /फील्ड डायरेक्टर,  
पीलीभीत टाईगर रिजर्व,  
पीलीभीत।

विषय :- जनपद पीलीभीत में बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम0डी0आर0-62) कि0मी0 3.807 से 3.842 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम-मानपुर, तहसील-बीसलपुर, जिला-पीलीभीत स्थित खसरा/गाटा सं0-3/1 में वी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.061624 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- उत्तर प्रदेश शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के पत्रांक-पी-52/81-2-2019-800 (74)/2019 दिनांक-09.9.2019 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय का पत्रांक 11सी514/FP/UP/Others/21754/2016 दिनांक 11.9.2019

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से जनपद पीलीभीत में बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम0डी0आर0-62) कि0मी0 3.807 से 3.842 के मध्य बॉयी पटरी पर ग्राम-मानपुर, तहसील-बीसलपुर, जिला-पीलीभीत स्थित खसरा/गाटा सं0-3/1 में वी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.061624 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार एवं मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति निर्गत की गयी है जिस पर प्रयोक्ता एजेन्सी से प्राप्त आख्या एवं अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नानुसार अनुपालन आख्या संलग्नकों सहित प्रेषित है।

Observe No.	Conditions	Status of Compliance
1	The forest land to be divert for approach/access should not be more than 0.1 ha in each case.	अनुपालन किया जायेगा।
2	The clearance of such approach/access to development of project shall be subject to condition that the project is need based.	अनुपालन किया जायेगा।
3	The legal status of the land shall remain unchanged.	अनुपालन किया जायेगा।
4	The user agency shall submit the project proposal to the State/UT Governments in the prescribed format on line on Ministry's web portal under the forest (Conservation) Rules, 2003 as amended from time to time.	नियमानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।
5	The project site should be outside Protected Area Network and eco- sensitive zone(ESZ).	eco- sensitive zone(ESZ) से बाहर है।
6	The concerned Divisional forest Officer shall assess the bare minimum requirement of the forest land for the project which shall not exceed 0.1 ha in each case and will also certify to this effect.	अनुपालन किया जायेगा।
7	The user agency will seek permission for diversion of forest land duly recommended by Principal Chief Conservator for Forests and from State/UT Government.	अनुपालन किया जायेगा।
8	The Nodal Officer (Forest Conservator) shall submit monthly report to the concerned Regional office by 5 <sup>th</sup> of every month regularly regarding approval of such cases.	अनुपालन किया जायेगा।
9	The User Agency shall plant minimum 50 plants or 10 times the no. of trees/plants to be filled whichever is more on Government land to be identified and certified by DFO.	50 पौधों के रोपण का प्राक्कलन संलग्न है।

ANUPALAN AAKHYA

10	The User Agency shall pay the Net Present Value (NPV) of the diverted forest land at the rates approved by the Ministry.	नियमानुसार एनपीवी की धनराशि ₹0 57865.00 NEFT/RTGS Challan No. BARBY 21069162618 द्वारा जमा कर दिया गया है।
11	The User Agency shall be responsible for any loss to flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures in this regard.	अनुपालन किया जायेगा।
12	The permission granted by the State/UT Government shall be subject to the monitoring by the concerned Regional Office of the Ministry of Environment, Forest & Climate Change.	अनुपालन किया जायेगा।
13	The forest land shall not be used for any purpose other than specified in the proposal.	अनुपालन किया जायेगा।
14	Entire process for settlement of right in accordance with the provisions of FRA, 2006 shall be completed before grant of approval for diversion of such forest land.	प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
15	The State/UT Forest Department or State/UT Government or the concerned Regional office, may impose any other condition from time to time in the interest of conservation, protection and/or development of forests	अनुपालन किया जायेगा।
16	वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाइन्स दिनांक-24-7-2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा।	अनुपालन किया जायेगा।
17	सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाये, जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।	अनुपालन किया जायेगा।
18	फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1x1.5 मीटर) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मीटर के आफसेट पर शुरू होगा, जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।	अनुपालन किया जायेगा।
19	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी0), क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तत्पश्चात ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0, दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी0), क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण, (Compensatory Afforestation fund, Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से एनपीवी0 की धनराशि ₹0 57865.00 एवं क्षतिपूर्क वृक्षारोपण की धनराशि 70700.00 कुल धनराशि ₹0 128565.00 NEFT/RTGS Challan No. BARBY 21069162618 बैंक ऑफ बड़ौदा, मधवापुर (पीलीभीत) द्वारा दिनांक 09.03.2021 को जमा कर दिया गया है। चालान की छायाप्रति संलग्न है।


20	उक्त वनभूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वनभूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यकता न रहे, वन विभाग, उ०प्र० सरकार को बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।	अनुपालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन०पी०वी० संशोधित होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।	वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ क्रमांक 14 पर संलग्न है।
22	भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफसी (पीटी), दिनांक 19-8-2010 तथा पत्र संख्या -J-11013/41/2006-IA -II(I), दिनांक 02 दिसम्बर 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैडिंग कमेटी ऑफ मेशन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जायेगा।	पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर ली गयी है प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
23	समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
24	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार /राज्य सरकार/मा०न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	अनुपालन किया जायेगा।
25	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक 11-9/98-एफसी, दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशो-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुये भू-संदर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (shape) फाइल में दर्शाया गया है।	भू-संदर्भित डिजिटल मानचित्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
26	प्रस्तावित वनभूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ०प्र० वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु प्रस्तावक विभाग द्वारा कटिंग, फैलिंग, लांगिंग एवं ट्रान्सप्लान्टेशन चार्ज वन निगम को भुगतान करना होगा। वृक्षों के छपान का व्यय प्रस्तावक विभाग द्वारा वन विभाग को प्रदान करना होगा। यह व्यवस्था भारत सरकार के पत्रांक-5-1/2007-एफसी, दिनांक 11-12-2008 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उल्लिखित है।	अनुपालन किया जायेगा।
27	उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाये, तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृत निर्गत की जायेगी।	प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धांतिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन सम्बन्धी अनुपालन आख्या प्रस्तुत है।


संलग्नक:- यथोपरि।

पत्रांक-2401/15-1 दिनांकित।

प्रतिलिपि प्रादेशिक प्रबन्धक (रिटेल सेल्य) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि० बरेली को सूचनार्थ प्रेषित।

ANUPALAN AAKHYA

भवदीय  
  
 (संजीव कुमार)  
 प्रभागीय निदेशक,  
 वन एवं वन्यजीव प्रभाग, पीलीभीत

  
 प्रभागीय निदेशक  
 सामाजिक वानिकी प्रभाग  
 पीलीभीत

## BANK COPY

CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

2021

Name.	BHARAT PETROLEUM CORPORATION LIMITED
Application No.	19921754657
MoEF/SG File No.	P-52/81-2-2019-800(57)/2019
Location.	UTTAR PRADESH
Address:	Bharat Petroleum Corporation Limited, Bharat Bhavan, 4 & 6, Currimbhoy Road, Ballard Estate, P.B.No. 688, Mumbai - 400 001 Mumbai City
Amount(in Rs)	128565/-

Amount in Words :One Lakh Twenty-Eight Thousand Five Hundred and Sixty-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTAR PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	1509019921754657 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

By send a line of confirmation through

BARBY 21069162618



क आनंद

Condition No. 1

**UNDERTAKING**

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per Compliance 1, **Bharat Petroleum Corporation Limited** hereby undertakes that the area of proposed Forest land to be diverted for entry/exit approach to BPCL Retail Outlet is less than 0.1 ha.

(Authorized Signatory) *Anand*


*Anand*  
Territory Manager (Retail)

*Anand*  
Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
Territory Bareilly

Condition No. 2

**UNDERTAKING**

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 2, the Protected Forest Land is proposed for diversion for entry/exit approach to BPCL Retail Outlet and therefore, it is a need based project.


  
Sanjay Anand  
(Authorized Signatory Retail)  
Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
Bareilly Territory  
Bharat Petroleum Corporation Limited  
Territory Bareilly


Condition No. 3

**UNDERTAKING**

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 3, **Bharat Petroleum Corporation Limited** hereby undertakes that as per Forest (Protection) Act, 1980 legal status of the land will not be changed.

(Authorized Signatory)


  
Sanjay  
Territory Manager (Retail)

  
Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
Bareilly Territory  
Territory Bareilly

Condition No. 4

## UNDERTAKING

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 4, the project proposal has been submitted online under the forest (Conservation) Rules, 2003 to the state government in prescribed format Bharat Petroleum Corporation Limited, Territory Bareilly.

  
Sanjay Anand  
(Authorized Signatory)  
Territory Manager (Retail)  
Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
Bareilly Territory  
 Bharat Petroleum Corporation Limited  
Territory Bareilly

Condition No. 5

**UNDERTAKING**

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 5, **Bharat Petroleum Corporation Limited** hereby undertakes that the project is outside protected area network and eco-sensitive zones (ESZ).

(Authorized Signatory)


*Sanjay Anand*  
Sanjay Anand  
Territory Manager (Retail)

Bharat Petroleum Corporation Limited  
Bareilly Territory  
Territory Bareilly

Condition No. 6

UNDERTAKING

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 6, **Bharat Petroleum Corporation Limited** hereby undertakes that Divisional Forest Officer, Forest & Wildlife Division Pilibhit has certified that bare minimum requirement of the forest land for the project is less than 0.1 ha


  
Sanjay Anand  
(Authorized Signatory) (Retail)  
Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
Bareilly Territory  
Bharat Petroleum Corporation Limited  
Territory Bareilly


certified that bare minimum requirement of the forest land for the project is less

Condition No. 7

## UNDERTAKING

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 7, **Bharat Petroleum Corporation Limited** hereby undertakes that no work will be done on proposed forest land without prior approval by principal chief conservator for Forest and from State/UT Government.


  
Sanjay Anand  
(Authorized Signatory)  
Territory Manager (Retail)  
Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
Bareilly Territory

 Bharat Petroleum Corporation Limited  
Territory Bareilly

Condition No. 8


**UNDERTAKING**

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 8, the Nodal Officer (Forest Conservator) will submit monthly report to the concerned Regional Office by 5th of every month regularly regarding approval of such cases.

  
(Authorized Signatory)

Territory Manager (Retail)

Bharat Petroleum Corporation Ltd


 Bharat Petroleum Corporation Limited

Territory Bareilly

**Condition No. 9**

**UNDERTAKING**


Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 9, **Bharat Petroleum Corporation Limited** hereby undertakes that it will plant minimum 50 plants or 10 times the number of trees/plants to be felled whichever is more on Government land to be indentified and certified by DFO.

  
Sanjay Anand  
(Authorized Signatory) (Retail)  
Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
Bareilly Territory  
Bharat Petroleum Corporation Limited  
Territory Bareilly

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम0डी0आर0-62) के कि0मी0 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी घटरी पर, खसरा सं0-3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) क्षतिपुरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक, प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकारण की धनराशि रू0 128565.00 ई-चालान द्वारा कैम्पा मद में जमा करा दी गयी है एवं इसका चालान भी संलग्न कर दिया गया है।


क्रम सं0	विवरण/मद	धनराशि (रू0में)	फण्ड ट्रांसफर का प्रकार	दिनांक	यू0टी0आर0 नं0
1	2	3	4	5	7
1	शर्त संख्या-19 के अनुपालन वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का रखरखाव/(सी0ए0)	70700.00 रुपये	एन.ई.एफ. टी.	10.03.2021	BARBY2106716 2618
2	शर्त संख्या-10 के अनुपालन में प्रभावित संरक्षित वनभूमि 0.061624 हे0 का शुद्ध वर्तमान मूल्य (9.39 लाख प्रति हे0 की दर से)/(एन0पी0वी0)	57865.00 रुपये			
	योग-	128565.00 रुपये			

  
**Sanjay Anand**  
 (प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) (Retail)  
 Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
 भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड  
 टेरीटरी बरेली

Condition No. 11

**UNDERTAKING**


Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 11, **Bharat Petroleum Corporation Limited** hereby undertakes that there will be no loss to flora/fauna in the surroundings and therefore, shall take all possible measures in this regard.

  
(Authorized Signatory)  
Territory Manager (Retail)  
Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
Bareilly  
Bharat Petroleum Corporation Limited  
Territory Bareilly

Condition No. 12

**UNDERTAKING**


Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 12, **Bharat Petroleum Corporation Limited** hereby undertakes that the permission granted by the State/UT Government will be subject to the monitoring by the concerned regional office of the Ministry of Environment, Forest & Climate change.

  
(Authorized Signatory) (Retail)  
Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
Bareilly Territory  
Bharat Petroleum Corporation Limited  
Territory Bareilly

Condition No. 13

## UNDERTAKING

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 13, **Bharat Petroleum Corporation Limited** hereby undertakes that that the forest land will only be used for purpose specified in project proposal.

  
Sanjay Anand  
(Authorized Signatory)  
Bharat Petroleum Corporation Ltd


Bareilly Territory  
Bharat Petroleum Corporation Limited  
Territory Bareilly

Condition No. 14

UNDERTAKING

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 14 **Bharat Petroleum Corporation Limited** hereby undertakes that entire process for settlement of rights in accordance with the provisions of FRA, 2006 has been completed before grant of approval for diversion of proposed forest land.


  
(Authorized Signatory)  
Territory Manager (Retail)  
Bharat Petroleum Corporation Ltd.

 Bharat Petroleum Corporation Limited  
Territory Bareilly

Condition No. 15

**UNDERTAKING**

Proposed protected forest Land to be diverted for entry/exit approach to Bharat Petroleum Corporation Limited Retail Outlet on Bisalpur-Bilsanda Road (MDR-62) in Km. No. 3.807 to 3.842 (LHS) At Khasra No. 3/1, Village - Manpur, District - Pilibhit (UP). As per compliance 15, **Bharat Petroleum Corporation Limited** hereby undertakes to follow conditions imposed from time to time in the interest of conservation, protection and/or development of forest by the State Forest Department of UP Government or the concerned Regional Office.


  
(Authorized Signatory)

Territory Manager (Retail)

 Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
Bareilly Territory  
Territory Bareilly

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम0डी0आर0-62) के कि0मी0 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं0-3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि वनभूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईड लाईन्स दिनांक 24.07.2013 के अन्तर्गत ले आउट प्लान के आधार पर होगा।

  
(प्रसिद्धित/हस्ताक्षरकृती)  
Territory Manager (Retail)  
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड  
Bharat Petroleum  
टैरिटरी बरली

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र


प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम0डी0आर0-62) के कि0मी0 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं0-3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि सड़क के किनारे वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुंचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगायी जाएगी, जिसमे फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित किया जाएगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षर) and  
Territory Manager (Retail)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड Ltd.  
टेरीटरी मैनेजर Territory

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम0डी0आर0-62) के कि0मी0 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं0 3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि स्थापित पेट्रोल पम्प की चहारदिवारी से 1.5 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए परिसर के चारों तरफ कम छत्र वाले वृक्षों का रोपण किया जाएगा जिसमें वृक्षों की अन्तर दूरी 1 से 1.5 मीटर रखी जाएगी।

  
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)  
Territory Manager (Retail)  
Bharat Petroleum Corporation Ltd.  
Bareilly Territory  
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड  
टेरीटरी बरेली

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम0डी0आर0-62) के कि0मी0 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं0-3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि वनभूमि निर्धारित अवधि के अन्दर तब तक रहेगी जब तक कि उसकी प्रस्तावित रिटेल आउटलेट हेतु आवश्यकता रहे। यदि उक्त वनभूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो आवश्यक न हों, वो वन विभाग, उ0प्र0 सरकार को यथास्थिति वापस कर दिया जायेगा।


(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

Sanjay Arund  
Territory Manager (Retail)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड  
पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड  
टेरीटरी मैनेजर

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम0डी0आर0-62) के कि0मी0 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं0 3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि यदि इस अवधि में संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु मॉग की गयी एन0पी0वी0 की धनराशि की दर में भविष्य में भारत सरकार द्वारा/सक्षम स्तर से ग्रेट्तरि होती है तो बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

  
Sanjay Anand  
(प्रधिकृत, वरिष्ठ अधिकारी)  
Territory Manager (Retail)

Bharat Petroleum Corporation Ltd

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
टेरीटरी बरेली

शर्त संख्या 23

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम0डी0आर0-62) के कि0मी0 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं0-3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि समस्त वैधानिक/प्रशासनिक अन्वपत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)  
Territory Manager (Retail)

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड  
Regional Territory  
देहरादून

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम0डी0आर0-62) के कि0मी0 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं0 3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)


Territory Manager (Retail)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड  
टेरीटरी मैनेजर

शर्त संख्या 26

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम0डी0आर0-62) के कि0मी0 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं0 3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि प्रस्तावित वन भूमि पर स्थित बाधक वृक्षों का पातन सिर्फ उ0प्र0 वन निगम द्वारा किया जायेगा तथा पातन की विभिन्न प्रक्रिया हेतु कटिंग, फैलिंग लॉगिंग एवं ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज तथा वृक्षों के छापान का व्यय भी भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा वन विभाग को भुगतान कर दिया जाएगा।

  
Sanjay Anand  
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)  
Territory Manager (Retail)  
Bharat Petroleum Corporation Ltd  
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड  
टेरीटरी बरेली

## वचनबद्धता प्रमाण पत्र

प्रस्तावक विभाग भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बीसलपुर-बिलसण्डा मार्ग (एम0डी0आर0-62) के कि0मी0 3.807 से 3.842 के मध्य बांयी पटरी पर, खसरा सं0-3/1, ग्राम-मानपुर, जिला-पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) में प्रस्तावित रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन हेतु भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबंधों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निर्देशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बंधी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जायेगा।



(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

Sanjay Arora

Territory Manager (Retail)

भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड

दिल्ली-वरेली